



**राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय**  
**RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES**  
Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)


No. F 7 ( ) Research/RUHS/2023/ 16265

Date: 11/07/2023

**—:कार्यालय आदेश:—**

विश्वविद्यालय की कोर कमेटी (रिसर्च) की बैठक दिनांक 26.06.2023 के टेबल एजेण्डा सं. 01 में लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त पीएच.डी. शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी शोधार्थी के द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार Re-Registration हेतु आवेदन किया जाता है तो शोधार्थी के द्वितीय शोध कार्य अवधि विस्तार पूर्ण होने के एक माह के अन्दर-अन्दर विश्वविद्यालय में Re-Registration हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। यदि शोधार्थी का द्वितीय शोध कार्य अवधि विस्तार पूर्ण होने के बाद Re-Registration हेतु विलम्ब से आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो शोधार्थी के द्वितीय शोध कार्य की अवधि विस्तार की अन्तिम तिथि से विलम्ब शुल्क राशि रुपये 1,000/- प्रतिमाह के अनुसार गणना करते हुए कुल विलम्ब शुल्क राशि को शोधार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किया जाने के पश्चात् ही Re-Registration की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी और उसके उपरान्त ही शोधार्थी की थिसिस को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(ऑकार मल) 12.7.23


कुलसचिव

No. F 7 ( ) Research/RUHS/2023/ 16266-76

Date: 11/07/2023

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—**

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज. स्वा. वि. वि., जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रतिकुलपति महोदय, राज. स्वा. वि. वि., जयपुर।
3. डीन, मेडिसिन/ डेन्टिस्ट्री/ फार्मसी/ पैरामेडिकल/ नर्सिंग/ फिजियोथैरेपी संकाय, राज.स्वा.वि. वि, जयपुर।
4. वाईस डीन, एकेडमिक एवं रिसर्च, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि. वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. रक्षित पत्रावली

  
(डॉ. बलवीर सिंह राठौड़)

प्रभारी अधिकारी (रिसर्च अनुभाग) एवं  
अतिरिक्त कुलसचिव